नीति दिशानिर्देश

फैक्स / ई-मेल द्वारा
सं.751/20/भूमि /र सं /विविध/2010
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
रक्षा सम्पदा महानिदेशालय
रक्षा सम्पदा भवन
उलान बाटर मार्ग, दिल्ली छावनी–110010
दिनांक 07 अक्तूबर, 2015

प्रधान निदेशक
रक्षा सम्पदा,रक्षा मंत्रालय
मध्य / पूर्व / उत्तर / दक्षिण/ दक्षिण-पश्चिम /पश्चिम कमान
लखनऊ / कोलकाता/ जम्मु/ पुणे / जयपुर / चण्डीगढ़

विषय: निवारक उपायों संबंधी अनुदेश- विभिन्न अनुमतियाँ /अनुमोदन इत्यादि प्राप्त करने के लिए एच ओ आर/मालिकों द्वारा प्रेषित पावर ऑफ अटार्नी (पीओए) पर कार्रवाई करना

हाल ही में, एक ऑडिट पैरा में यह पाया गया कि पावर ऑफ अटार्नी एक विशिष्ट उद्देश्य हेतु दी गई थी तथा वस्तुतः केवल विक्रय के लिए 'विशेष पावर ऑफ अटार्नी' शीर्षक दिया गया था। तथापि संबन्धित फील्ड अधिकारी ने विशेष पावर ऑफ एटॉर्नी को जनरल पावर ऑफ अटार्नी माना और पावर ऑफ अटार्नी धारक द्वारा भवन के पुनर्निर्माण के लिए किए गए आवेदन पर विचार कर कार्रवाई की, जिसके लिए उसे अधिकार नहीं दिया गया था/अधिकृत नहीं किया गया था। इस मामले की जांच संसदीय लेखा समिति(PAC) की उप-समिति द्वारा की गई तथा इसमें यह उल्लेख किया गया कि फील्ड अधिकारियों की ओर से इस प्रकार की चूक एक गंभीर मामला है।

2. मुख्य अधिशासी अधिकारियों तथा रक्षा सम्पदा अधिकारियों सहित सभी अधिकारियों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे एच ओआर/पट्टेधारकों/ ओल्ड ग्रांट/पट्टे पर भूमि के हित-वारिसों द्वारा भेजी गई पावर ऑफ अटार्नी की सावधानीपूर्वक जांच करें तथा सुनिश्चित करें कि इसमें उसी सीमा तक कार्रवाई की जाए जिस सीमा तक पावर ऑफ अटार्नी धारक को अधिकार दिए गए है। । जिस अवधि के लिए पावर ऑफ अटार्नी दी गई है, उस अवधि को नोट कर लें ताकि पावर ऑफ अटार्नी की अवधि समाप्त होने के बाद उस पर कोई कार्रवाई न हो।

3. ऐसी गलत व्याख्याओं या चूक की पुनरावृत्ति को रोकना आवश्यक है, ताकि बाद में कानूनी जटिलताएँ न हों।

4. इसे महानिदेशक,रक्षा सम्पदा की स्वीकृति से जारी किया गया है।

(अजय कुमार शर्मा)
(अपर महानिदेशक (भूमि/भू-अधि)
रक्षा सम्पदा

प्रतिलिपि:
1. डी जी डी ई / निदेम /एयू एवं आर सी के सभी अधिकारी
2. सभी रक्षा सम्पदा अधिकारी / मुख्य अधिशासी अधिकारी (ई-मेल द्वारा)
3. डी जी डी ई वेबसाइट/डी एम एस

आंतरिक प्रतिलिपि:
1. फ़ाइल सं 723/ए/23/एल/डीई/2015 & फ़ाइल सं 701/विविध/डीपी/आरडी/डी ई/2012